1. **Objective:** To Determine the Vigil Mechanism/Whistle Blower in Shakti Pumps & its Associates
   शक्ति पंप्स एवं उसके एसोसिएट्स में विजिल मेकेनिसिम /व्हिसल ब्लोअर का निर्धारण करना

2. **Scope: -** This Policy Cover Shakti Group and all Division Associates with it.
   यह पॉलिसी शक्ति ग्रुप और उसके सभी डिवीजन एसोसिएट्स को कवर करती है।

3. **Responsibility-** Ethics Head is Responsible for Implementation of Policy
   जिम्मेदारी– एथिक्स हेड पॉलिसी इम्प्लमेन्टेशन के लिए जिम्मेदार है।

4. **Policy Description: -**

Pursuant to Regulation 22 of SEBI listing obligations and disclosures requirement regulations 2015 requires every listed company shall establish a whistle Blower policy/Vigil Mechanism for the directors and employees to report genuine concerns or grievances about unethical behavior, actual or suspected fraud or violation of the company's code of conduct for Directors and senior management executive which lays down the principles and standards that one should govern the actions of the Company and its employees. Any actual or potential violation of code, however insignificant or perceived as such, would be a matter of serious concern for the Company. Such a vigil mechanism shall provide for adequate safeguards against victimization of directors and employee who avail of such mechanism and also make provisions for the direct access to the chairperson of Audit Committee in exceptional cases. Under these circumstances, SHAKTI PUMPS (INDIA) LIMITED (SPIL) being a Listed Company proposes to establish a Whistle Blower Policy/Vigil Mechanism and also make provisions for direct access to the Ethics Head in exceptional cases.
लिस्टिंग समझौते के रेगुलेशन 22 ऑफ़ SEBI लिस्टिंग ओब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोसर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन्स 2015 के लागू प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी को डायरेक्टर्स तथा इम्पलोई के लिए एक व्हिसिल ब्लोअर पॉलिसी/ विजिल मेकेनिसिम स्टबलीस करना होगा, ताकि वे अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी या डायरेक्टर्स तथा सीनियर मैनेजमेंट एक्सीकेटीव के लिए कंपनी की कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन के बारे में शिकायतों की रिपोर्ट कर सकें जो कंपनी तथा उसके कर्मचारियों के कार्यों को नियंत्रित करने वाले प्रिंसिपल्स एंड स्टैंडड्र्स को निर्धारित करती है। संहिता का कोई भी वास्तविक या संभावित उल्लंघन, चाहे वह कितना भी महत्वहीन या ऐसा माना जाए, कंपनी के लिए गंभीर चिंता का विषय होगा। ऐसे विजिल मेकेनिसिम का लाभ उठाने वाले डायरेक्टर्स तथा इम्पलोयीस के उत्पीड़न के विरुद्ध पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करेगा तथा एक्सेप्शनल केसेस में एथिक्स हेड तक सीधी पहुंच के लिए प्रावधान भी करेगा। इन परिस्थितियों में, शक्ति पंप्स (इंडिया) लिमिटेड (एसपीआईएल) एक सूचीबद्ध कंपनी होने के नाते एक व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी/ विजिल मेकेनिसिम स्थापित करने का प्रस्ताव करती है और असाधारण मामलों में ऑडिट कमेटी के एमडी तक सीधे पहुंच के लिए प्रावधान भी करती है।

5 **ELIGIBILITY:** All Employees of the Company are eligible to make Disclosure under this policy and also relation to matter concerning the Company.
एलिजिब्लिटी: कंपनी के सभी इम्प्लोयी इस पॉलिसी के तहत डिस्क्लोजर करने के लिए पात्र हैं और कंपनी से संबंधित मामलों से भी संबंधित हैं।

6. RECEIPT DISCLOSURES: डिस्क्लोजर की प्राप्ति :–

All the disclosure should be reported in website (Shakti Pumps) by complainant as soon as possible after the Whistle blower becomes aware of the same as to a clear understanding the issues raised
व्हिसल ब्लोअर को सभी डिस्क्लोजर के बारे में पता चलने के बाद शिकायतकर्ता द्वारा वेबसाईट (शक्ति पंप्स्) रूप में जल्द रिपोर्ट की जानी चाहिए ताकि उठाए गए मुद्दों को स्पष्ट रूप से समझा जा सके

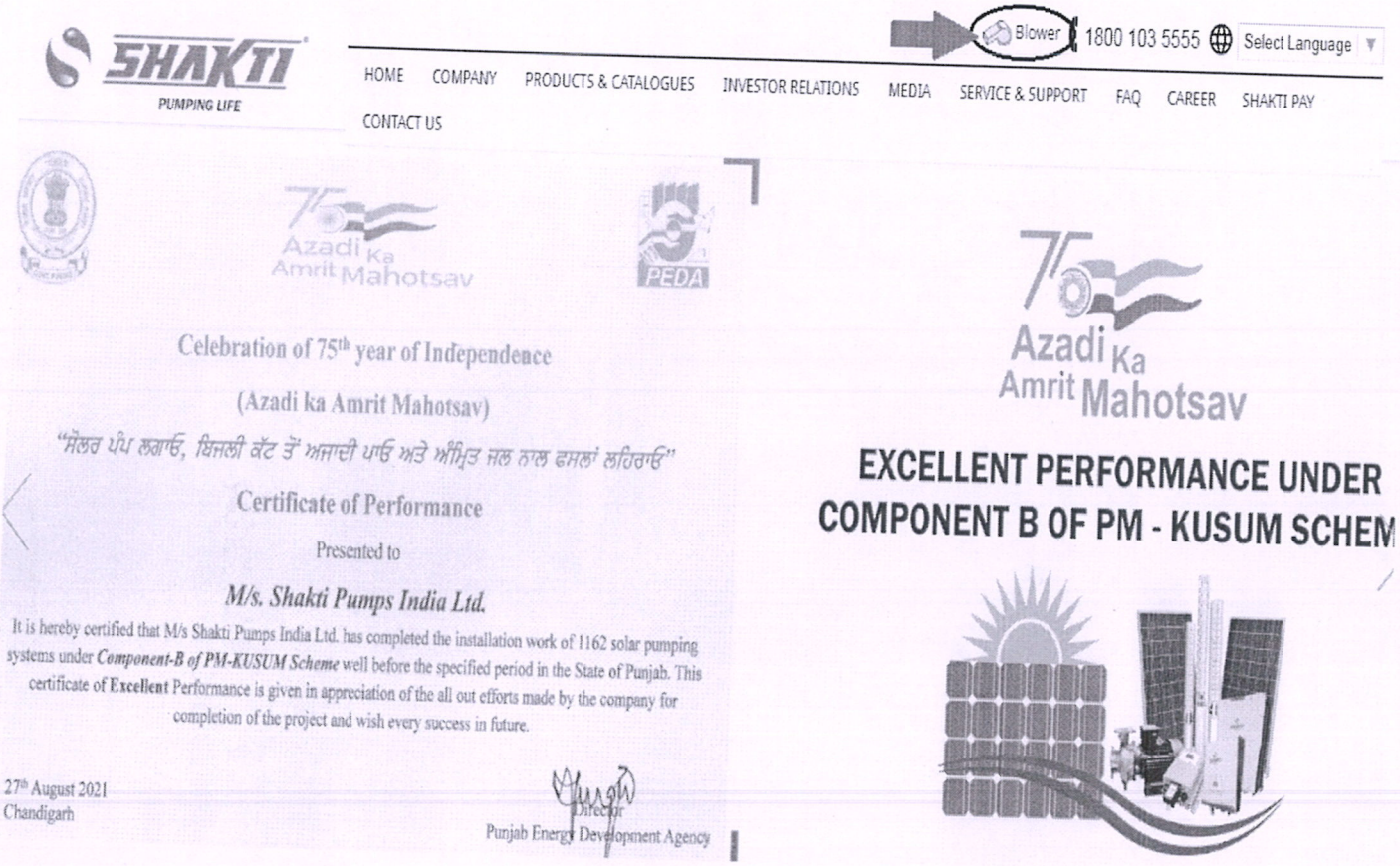

After lodging the complaint on the website (Shakti Pumps), the complaint will be received by the Ethics Head on Email ID (Ethics@shaktipumps.com) .Automatic through mail.
वेबसाईट (शक्ति पंप्स्) पर शिकायत दर्ज करने के बाद एथिक्स हेड के ईमेल आईडी (Ethics@shaktipumps.com) के पास ऑटोमेटिक जायेगी ।

- Protected Disclosures Means such disclosures shall not be disclosed with any other personal except the Whistle Blower committee member.
  प्रोटेक्टेड डिस्क्लोसर का अर्थ है कि डिस्क्लोसर, व्हिसल ब्लोवर कमेटी के मेंबर के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा नहीं जायेगी ।

7.**Whistle Blower Committee** "व्हिसल ब्लोअर कमेटी

Managing Director	मेनेजिंग डायरेक्टर
Chief Financial Officer	चिफ फाइनेंशियल ऑफिसर
GM-Human Resources	जीएम– एचआर
Audit Head	ऑडिट हेड
Company Secretary	कंपनी सेक्रेटरी
Ethics Head	एथिक्स हेड

4. On receipt of the protected disclosure the Vigilance and Ethics Head/Audit committee, as the case may be, shall make a record of protected disclosure and also ascertain from the complainant whether he was the person who made the protected disclosure or not . He shall also carry out initial investigation either himself or by involving any other officer of the company or an outside agency before investigation and needful action. The record will include:
प्रोटेक्टेड डिस्क्लोजर की प्राप्ति पर सतर्कता और एथिक्स हेड/ऑडिट कमेटी, जैसा भी मामला हो, संरक्षित प्रकटीकरण का रिकॉर्ड बनाएंगे और शिकायतकर्ता से यह भी पता लगाएंगे कि प्रोटेक्टेड डिस्क्लोजर करने वाला व्यक्ति वही था या नहीं। वह इंवेस्टीगेशन एवं नीडफुल एक्सन से पहले या तो खुद या कंपनी के किसी अन्य ऑफिसर या बाहरी एजेंसी को शामिल करके प्रारंभिक जांच भी करेगा। रिकॉर्ड में शामिल होंगे:

a) Brief facts; b) Whether the same Protected Disclosure was raised previously by anyone, and if so, the outcome thereof;
क्या वही प्रोटेक्टेड डिस्क्लोजर पहले किसी के द्वारा उठाया गया था, और यदि हाँ, तो उसका परिणाम ;
b) Whether the same Protected Disclosure was raised previously on the same subject matter;
क्या वही प्रोटेक्टेड डिस्क्लोजर पहले उसी विषय पर उठाया गया था;
c) Details of action taken by Vigilance and Ethics Head/MD for processing the complaint
शिकायत पर कार्रवाई करने के लिए विजिलेंस और एथिक हेड/एमडी द्वारा की गई कार्रवाई की डिटेल
d) Findings of the committee
कमेटी के निष्कर्ष
e) The recommendations of the Committee/other action(s).
कमेटी की सिफारिशें/ अन्य एक्शन

8. INVESIGATION: **इनवेस्टीगेशन**

1. All Protected Disclosures under this policy will be recorded and thoroughly investigated. The Committee may investigate and may at its discretion consider involving consider involving any other Head of the Company and/or an outside agency for the purpose of investigation.
इस पॉलिसी के तहत सभी प्रोटेक्टेड डिस्क्लोजर रिकॉर्ड किए जाएंगे और उनकी गहन जांच की जाएगी। कमेटी इनवेस्टीगेशन कर सकती है और अपने विवेक से जांच के उद्देश्य से कंपनी के किसी अन्य हेड या बाहरी एजेंसी को शामिल करने पर विचार कर सकती है।

2. The decision to conduct an investigation is by itself not an accusation and is to be treated as a neutral fact finding process.
   इनवेस्टीगशन करने का निर्णय अपने आप में कोई आरोप नहीं है और इसे एक न्यूट्रल फैक्ट फाइंडिंग प्रोसेस. के रूप में माना जाना चाहिए।
3. Subject(XYZ) will normally be informed in writing of the allegation at the outset of the formal investigation and have opportunities for providing their inputs during investigation.
   Subject(XYZ) सामान्यतः औपचारिक जांच की शुरूआत में आरोप के बारे में लिखित रूप में सूचित किया जाएगा तथा जांच के दौरान उन्हें अपने इनपुट प्रदान करने के अवसर दिए जाएंगे।
4. Subject(XYZ) shall have a duty to co-operate with the committee or any of the officers appointed by it in this regard.
   Subject(XYZ) का यह कर्तव्य होगा कि वे इस संबंध में कमेटी या उसके द्वारा नियुक्त किसी भी ऑफिसर के साथ सहयोग करें।

5. Subject(XYZ) have a right to consult with a person or persons of their choice, other than the Vigilance and Ethics Head / Investigators and/or members of the Committee.
   Subject(XYZ) को सतर्कता एवं इनवेस्टीगेटर/विजिलेंस एवं एथीक्स हेड तथा/या कमेटी के सदस्यों के अलावा अपनी पसंद के किसी व्यक्ति या व्यक्तियों से परामर्श करने का अधिकार है।
6. Subject(XYZ) have a responsibility not to interfere with the investigation. Evidence shall not be withheld, destroyed or tampered with and witness shall not be influenced, coached, threatened or intimidated by the subject(XYZ).
   Subject(XYZ) की यह जिम्मेदारी है कि वे जांच में हस्तक्षेप न करें। साक्ष्य को छिपाया, नष्ट या छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा तथा गवाह को Subject(XYZ) द्वारा प्रभावित, प्रशिक्षित, धमकाया या भयभीत नहीं किया जाएगा।

7. Unless there are compelling reasons not to do so, subject(XYZ) will be given the opportunity to respond to material findings contained in the investigation report. No allegation of wrong doing against a subject(XYZ) shall be considered as maintainable unless there is good evidence in support of allegation.
   जब तक ऐसा न करने के लिए बाध्यकारी कारण न हों, subject(XYZ) को जांच रिपोर्ट में निहित भौतिक निष्कर्षों पर प्रतिक्रिया देने का अवसर दिया जाएगा। किसी subject(XYZ) के विरुद्ध गलत काम करने का कोई भी आरोप तब तक बनाए रखने योग्य नहीं माना जाएगा जब तक कि आरोप के समर्थन में अच्छे साक्ष्य न हों।

8. Subject(XYZ) have a right to be informed of the outcome of the investigations. If allegations are not sustained, the Subject should be consulted as to whether public disclosure of the investigation results would be in the best interest of the Subject and the Company
   Subject (XYZ) को जांच के परिणाम के बारे में सूचित किए जाने का अधिकार है। यदि आरोप सही नहीं पाए जाते हैं, तो Subject (XYZ) से परामर्श किया जाना चाहिए कि क्या जांच के परिणामों का सार्वजनिक डिसक्लोसर Subject और कंपनी के सर्वोत्तम हित में होगा।

9. The investigation shall be completed normally within 90 days of the receipt of the protected disclosure and is extendable by such period as the Committee deems fit.
   जांच सामान्य रूप से प्रोटेक्टेड डिस्क्लोजर की प्राप्ति के 90 दिनों के भीतर पूरी हो जाएगी और समिति द्वारा उचित समझे जाने वाली अवधि तक बढ़ाई जा सकती है।

9. DECISION AND REPORTING निर्णय और रिपोर्टिंग

a) If an investigation leads the Vigilance and Ethics Head/Audit committee to conclude that an improper or unethical act has been committed, the Vigilance and Ethics head /MD of the Committee shall recommend to the management of the Company to take disciplinary or corrective action as she may deem fit. It is clarified that any disciplinary or corrective action initiated against the Subject as a result of the findings of an investigation pursuant to this policy shall adhere to the applicable personnel or staff conduct and disciplinary procedures

यदि जांच के परिणामस्वरूप सतर्कता और एथिक्स हेड/ऑडिट कमेटी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कोई अनुचित या अनैतिक कार्य किया गया है, तो सतर्कता और एथिक्स हेड /कमेटी के अध्यक्ष कंपनी के प्रबंधन को अनुशासनात्मक या सुधारात्मक कार्रवाई करने की सिफारिश करेंगे, जैसा कि वे उचित समझें। यह स्पष्ट किया जाता है कि इस पॉलिसी के अनुसरण में जांच के निष्कर्षों के परिणामस्वरूप विषय के विरुद्ध शुरू की गई कोई भी अनुशासनात्मक या सुधारात्मक कार्रवाई लागू कार्मिक या स्टाफ आचरण और अनुशासनात्मक प्रक्रियाओं का पालन करेगी।

b) The Vigilance and Ethics Head shall submit a report to the MD on regular basis about all Protected Disclosure to other members of the Committee if deem fit. The Committee shall appropriately and expeditiously investigate the Protected Disclosure.

सतर्कता और एथिक्स हेड, यदि उचित समझे तो कमेटी के अन्य सदस्यों को सभी संरक्षित प्रकटीकरण के बारे में नियमित आधार पर एमडी को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। कमेटी संरक्षित प्रकटीकरण की उचित और शीघ्रता से जांच करेगी।

c)In case Ethics Head after examining the Protected Disclosure shall forward the protected disclosure to other members of the Committee if deem fit. The Committee shall appropriately and expeditiously investigate the Protected Disclosure.

यदि एथिक्स हेड प्रोटेक्टेड डिस्क्लोजर की जांच करने के बाद, यदि उचित समझे तो प्रोटेक्टेड डिस्क्लोजर को समिति के अन्य सदस्यों को अग्रेषित करेगा। कमेटी प्रोटेक्टेड डिस्क्लोजर की उचित और शीघ्रता से जांच करेगी।

d) If the report of investigation is not to the satisfaction of the complainant, the complainant has a right to report the event to the appropriate legal or investigating agency.

यदि जांच की रिपोर्ट शिकायतकर्ता की संतुष्टि के अनुरूप नहीं है, तो शिकायतकर्ता को उचित कानूनी या जांच एजेंसी को घटना की रिपोर्ट करने का अधिकार है।

e) A complainant who makes false allegation of unethical & improper practices or about alleged wrongful conduct of the of the subject to the Vigilance and Ethics head or the Committee shall be subject to appropriate disciplinary action in accordance with the rules ,procedures and policies of the Company.

कोई शिकायतकर्ता जो सतर्कता एवं एथिक्स हेड या कमेटी के समक्ष अनैतिक एवं अनुचित व्यवहार या कथित गलत आचरण का झूठा आरोप लगाता है, उस पर कंपनी के नियमों, प्रक्रियाओं और पॉलिसी के अनुसार उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

10. PROTECTION: प्रोटेक्शन

a) No unfair treatment will be meted out to a Whistle Blower by virtue of his/her having reported a Protected Disclosure under this policy. The Company, as a policy, condemns any kind of discrimination, harassment, victimization or any other unfair employment practice like retaliation, threat or intimidation of termination/suspension of service, disciplinary action, transfer, demotion, refusal of promotion or the like including any direct or indirect use of authority to obstruct the Whistle Blower's right to continue to perform his duties/functions including making further Protected disclosure under this policy including making further Protected Disclosure .The Company will take steps to minimize the difficulties, which the Whistle Blower may experience as a result of making the Protected Disclosure. The Company will take steps to minimize difficulties, which the Whistle Blower may experience as a result of making the Protected Disclosure. Thus, if the Whistle Blower is required to give evidence in criminal or disciplinary proceedings, the Company will arrange for the Whistle Blower to receive advice about the procedure, etc.
इस पॉलिसी के अंतर्गत प्रोटेक्टेड डिस्क्लोजर की रिपोर्ट करने के आधार पर किसी व्हिसल ब्लोअर के साथ कोई अनुचित व्यवहार नहीं किया जाएगा। कंपनी, नीतिगत रूप से, किसी भी प्रकार के भेदभाव, उत्पीड़न, उत्पीड़न या किसी अन्य अनुचित रोजगार व्यवहार जैसे प्रतिशोध, धमकी या सेवा की समाप्ति/निलंबन, अनुशासनात्मक कार्रवाई, स्थानांतरण, पदावनत, पदोन्नति से इनकार या इस तरह की किसी भी तरह की निंदा करती है, जिसमें व्हिसल ब्लोअर के अपने कर्तव्यों/कार्यों को जारी रखने के अधिकार में बाधा डालने के लिए प्राधिकरण का कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग शामिल है, जिसमें इस नीति के तहत आगे प्रोटेक्टेड डिस्क्लोजर करना भी शामिल है। कंपनी उन कठिनाइयों को कम करने के लिए कदम उठाएगी, जो व्हिसल ब्लोअर संरक्षित प्रकटीकरण करने के परिणामस्वरूप अनुभव कर सकते हैं। कंपनी उन कठिनाइयों को कम करने के लिए कदम उठाएगी, जो व्हिसल ब्लोअर प्रोटेक्टेड डिस्क्लोजर करने के परिणामस्वरूप अनुभव कर सकते हैं। इस प्रकार, यदि व्हिसल ब्लोअर को आपराधिक या अनुशासनात्मक कार्यवाही में साक्ष्य देने की आवश्यकता होती है, तो कंपनी व्हिसल ब्लोअर को प्रक्रिया आदि के बारे में सलाह प्राप्त करने की व्यवस्था करेगी।

b) A Whistle blower may report any violation of the above clause to the MD of the Audit Committee, who shall investigate into the same and recommend suitable action to the management.
व्हिसल ब्लोअर उपरोक्त खंड के किसी भी उल्लंघन की रिपोर्ट ऑडिट कमेटी के एमडी को दे सकता है, जो इसकी जांच करेगा और मैनेजमेंट को उचित कार्रवाई की सिफारिश करेगा।

c) The identity of the Whistle Blower shall be kept confidential to the extent possible and permitted under law.
व्हिसल ब्लोअर की पहचान यथासंभव और कानून के तहत अनुमत सीमा तक गोपनीय रखी जाएगी।

d) Any other employee assisting in the said investigation shall also be protected to the same extent as the Whistle Blower.

उक्त जांच में सहायता करने वाले किसी अन्य इम्प्लोयी को भी व्हिसल ब्लोअर के समान ही प्रोटेक्ट किया जाएगा।

10. SECRECY/CONFIDENTIALITY गोपनीयता / गोपनीयता

The Complainant, Vigilance and Ethics Head, Members of Audit Committee, the Subject and everybody involved in the process shall: Maintain the confidentiality of all matters under this policy Discuss only to the extent or with those persons as required under this policy for completing the process of investigations. Not keep the papers unattended anywhere at any time Keep the electronic mails/files under password.
शिकायतकर्ता, विजिलेंस और एथिक्स हेड, ऑडिट कमेटी के सदस्य, सब्जेक्ट और प्रोसिजर में शामिल सभी लोग : इस पॉलिसी के तहत सभी मामलों की गोपनीयता बनाए रखेंगे और जांच की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए इस पॉलिसी के तहत आवश्यक सीमा तक या उन व्यक्तियों के साथ ही चर्चा करेंगे। किसी भी समय कागजात को कहीं भी लावारिस न रखें। इलेक्ट्रॉनिक मेल / फाइलों को पासवर्ड के अंतर्गत रखें।

11. REPORTING The Whistle & Ethics Head shall submit a report to the MD of the Audit Committee on a regular basis about all Protected Disclosures referred to him/her since the last report together with the results of investigations if any.
रिपोर्टिंग व्हिसल एवं एथीक्स हेड, पिछली रिपोर्ट के बाद से उसे संदर्भित सभी प्रोटेक्टेड डिस्क्लोजर के बारे में नियमित आधार पर ऑडिट कमेटी के एमडी को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, साथ ही जांच के परिणाम, यदि कोई हों, प्रस्तुत करेगा।

12. COMMUNICATION A Whistle Blower shall have a right to access MD of the Audit Committee on regular basis about all Protected Disclosures referred to her since the last report together with results of investigations, if any
कम्युनिकेशन व्हिसल ब्लोअर को लास्ट रिपोर्ट के बाद से उसके पास भेजे गए सभी प्रोटेक्टेड डिस्क्लोजर के बारे में नियमित आधार पर ऑडिट कमेटी के अध्यक्ष से संपर्क करने का अधिकार होगा, साथ ही जांच के परिणाम, यदि कोई हों

13. AMENDMENT The Company reserves its right to amend or modify this policy in whole or in part, at any time without assigning any reason whatsoever. However, no such amendment or modification will be binding on the Employees and Directors unless the same is notified to them in writing.
संशोधन कंपनी बिना कोई कारण बताए किसी भी समय इस नीति को पूरी तरह या आंशिक रूप से संशोधित या संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। हालाँकि, ऐसा कोई भी संशोधन या संशोधन इम्पलोई तथा डायरेक्टर्स पर तब तक बाध्यकारी नहीं होगा जब तक कि उन्हें लिखित रूप में सूचित न किया जाए।